आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
5/12/2013	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **संचिका सं0 36-37/2013** **हिमांशु कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्र वाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 754/गो0 दिनांक 8.3.2013 के द्वारा आवेदक हिमांशु कुमार पिता श्री इन्द्रप्रताप नारायण सिंह, ग्राम–नेवाजी टोला, पो0–गुरूकुल मेहिया, थाना–छपरा मुफसिल, जिला–सारण वर्त्तमान जय मेडिसीन, श्री नन्दन पथ, थाना–छपरा नगर, जिला–सारण के एक NPB रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जॉच प्रतिवेदन के आधार पर आरंभ किया गया है। इसी कम में आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 वाद सं0 18674/2013 दाखिल कर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न पुलिस जॉच प्रतिवेदन एवं अन्य साक्ष्यों का अवलोकन किया। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के जान माल पर खतरे की आशंका है। इस तथ्य की पुष्टि दिनांक 4.2.2013 को नगर थाना छपरा में दर्ज कांड सं0 26/2013 से होती है। इस कांड में 9 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है। थानाध्यक्ष, नगर थाना, छपरा के प्रतिवेदन में अंकित है कि आवेदक के विरूद्व व्याप्त जान माल के खतरे के निवारण हेतु उन्हें हाउस गार्ड मुहैया कराया गया है। इस प्रकार उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक के उपर मौजूद खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में जानमाल की सुरक्षा के लिए आवेदक के द्वारा रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए अनुरोध किया गया है। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, नगर	

थाना, छपरा के प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 754/गो0 दिनांक 8.3.2013 के द्वारा आवेदक के उपर खतरे की आशंका की पुष्टि करते हुए रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार थानाध्यक्ष, नगर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, छपरा एवं पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन से संतुष्ट होते हुए आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–A) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप सं0 3026 दिनांक 13.4.2010 द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक हिमांशु कुमार को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र वैद्यता के साथ एक NPB रिवॉल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस आदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 30 /न्यायालय दिनांक 29/01/2014

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित / जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण को संचिका सं 36-37/13 मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि– NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण
27/1/14